10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक- R-853-II/12 सन् 2012

1- बद्री तनय बाला पटेल निवासी ग्राम दूल्हादेव

तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर म0 प्र0----निगरानकर्ता

बनाम

1- रामकेश तनय भगवानदास पटेल नि

2- म0 प्र0 शासन -- गैर निगरानीकर्ता,

निगरानी आवेदन पत्र ग्राह्य एवं सुनवाई किये जाने

बाबत ।

महोदय,

प्रार्थी सादर निम्नलिखित विनय सादर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रार्थी के बद्री तनय बाला पटेल द्वारा एक निगरानी आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2012 को न्यायालय श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर के यहाँ पेश किया गया था, जिसमें श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय को सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है।

2. यह कि माह दिसम्बर 2011 में म0प्र0भू0रा0सं0 के अंतर्गत निगरानी आवेदन पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल ग्वालियर का संशोधन हुआ है।

3. यह कि प्रार्थी को कानून का ज्ञान न होने के कारण भूलवश श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर के यहाँ निगरानी प्रस्तुत कर दी थी ।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त निगरानी आवेदन पत्र को राजस्व मण्डल ग्वालियर मे सुनवाई एवं ग्राह्य किये जाने की कृपा की जायें ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-853-दो/2012 जिला छतरपुर बद्री विरूद्ध रामकेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लौंडी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 124/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 12-12-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-03-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31-01-19

(आर.के. जैन)
सदस्य